

9. जब कभी लाईन में आपके द्वारा कोई कार्य किया जायेगा तो कार्य करने से पूर्व आवश्यक शुल्क जमाकर अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
10. रोड कटिंग चार्ज रु0 32,41,000.00 जो कि आपके द्वारा ड्राफ्ट/चैक संख्या 647808 दिनांक 29.11.2017 स्टेट बैंक में जमा किये गये हैं व मार्ग को भविष्य में सुचारु रूप से चालू रखने हेतु व्यय किये जाते हैं। यह राशि नॉन रिफ़ंडेबिल है।
11. खुदाई की मिट्टी पक्की सतह पर न डाली/छोड़ी जाय।
12. आपके द्वारा जमा की गई उक्त धनराशि आगणन के अनुसार है जिसका विवरण आगणन में दिया गया है हेतु ली गई है। यदि कटिंग आगणन में दिये गये क्षेत्रफल से अधिक होती है तो अतिरिक्त कटिंग की धनराशि आपको तुरन्त जमा करानी होगी। यदि आप इस धनराशि को समय पर जमा न कर पाये तो विभाग को अधिकार होगा कि वह वसूली एज ए लैण्ड रैवेन्यू वसूल करवाये जायेंगे तथा इस प्रकार वसूल की जाने वाली धनराशि पर हुये व्यय की वसूली भी आपसे की जायेगी।
13. भविष्य में यदि कोई अन्य दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये जाते हैं तो उनका पालन करने हेतु आप बाध्य होंगे।
14. कार्य कराने से पूर्व पुलिस विभाग से उक्त रोड कटिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अधियासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0,
बड़कोट (उत्तरकाशी)।

दिनांक / / 2017

पत्रांक:- /02 सी0

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट को इस आवश्यकता से प्रेषित कि मार्ग कटिंग हो जाने पर काटे गये क्षेत्रफल की वास्तविक विस्तृत सूचना एवं अतिरिक्त कटिंग का बिल अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय, यदि निरीक्षण के दौरान इसमें अनियमितता पाई गई तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की होगी।

प्रतिलिपि:- खण्डीय रोकडिया को उपरोक्त ड्राफ्ट सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट को सूचनार्थ।

अधियासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0,
बड़कोट (उत्तरकाशी)।